3.	एल.आई.जी. (	23	40.00	25.72	13.46	1.21	25
4.	ई.डब्ल्यू.एस. (बी)						

के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। (2) योजना स्वयं

नियम एवं शर्तें :- (1) आवेदन फॉर्म एवं पंजीयन राशि ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार की जावेगी। (2) योजना स्वयं
वित्तीय योजनान्तर्गत स्वीकृत है। भवन की पूर्ण राशि जमा करने के पश्चात विक्रय विलेख/लीज डीड आवेदक को स्वयं के
व्यय पर निष्पादित कराना होगी, तद्उपरान्त मण्डल नियमानुसार लीज अनुबंध करने पर भवन का आधिपत्य सौंपा जावेगा।
(3) उपलब्ध भवनों से अधिक पंजीयन प्राप्त होने पर पंजीयन लॉटरी के माध्यम से चयन किया जावेगा। (4) भवन का
आधिपत्य लेने के उपरान्त भवन के पानी एवं बिजली का कनेक्शन हितग्राही को स्वयं के व्यय पर संबंधित विभाग से लेना
होगा। (5) शासन के नियमानुसार भवन की कीमत के अनुसार जी.एस.टी. एवं अन्य कर पृथक से देय होंगे। (6) आवेदक
द्वारा पंजीयन स्वीकृति के पश्चात, पंजीयन निरस्त कराने पर सम्पूर्ण पंजीयन राशि राजसात की जावेगी। (7) किसी भी प्रकार
की विपरीत परिस्थिति की दशा में आवेदन/पंजीयन स्वीकृत/अस्वीकृत करने का सम्पूर्ण अधिकार मण्डल के पास सुरक्षित
रहेगा जिस पर आवेदकों का कोई भी दावा, वाद-विवाद, न्यायालयीन प्रकरण आदि मान्य नहीं होगा। (8) संपत्ति का अंतिम
मूल्य भूखण्ड के वास्तविक माप के आधार पर निर्धारित किया जावेगा। (9) भवन कॉर्नर का होने पर भूखण्ड के मूल्य का 10
प्रतिशत कॉर्नर चार्ज एवं भवन बेटर लोकेशन होने पर भूखण्ड के मूल्य का 5% बेटर लोकेशन चार्ज पृथक से देयक होगा।
(10) किसी भी कारणवश मण्डल द्वारा यदि योजना निरस्त की जाती है तो मण्डल नियमानुसार जमा राशि वापिस कर दी
जावेगी। (11) आवेदक कम से कम 18 वर्ष की आयु का वयस्क होना चाहिए। अवयस्क होने की स्थिति में माता-पिता/
अभिभावक के संयुक्त नाम से पंजीयन करने हेतु पात्रता भी होगी। (12) शासन/मण्डल द्वारा समय-समय पर भविष्य में जारी
होने वाले समस्त नियम एवं शर्तें हितग्राही पर बंधनकारी रहेंगी। (13) शासन/मण्डल द्वारा निर्धारित करों/टैक्स/लीजरेन्ट/
मेन्टेनेंस/जलकर/कार्प्स फण्ड आदि का भुगतान पृथक देय होगा। (14) योजना की विस्तृत जानकारी एवं ऑनलाइन पंजीयन
सुविधा **www.mphousing.in, www.mponline.gov.in** पर उपलब्ध।

7804888200 ... अग्रवाल (संपदा अधिकारी)